प्रेस नोट- दिनांक 16.04.2024

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाले अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में सोशल मीडिया सेल इटावा एवं थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत सोशल मीडिया सैल इटावा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सतर्क निगरानी रखी जा रही थी, इसी दौरान 01 युवक का अवैध तमंचे के साथ वायरल फोटो प्राप्त हुआ। जिसके संबंध में इलैक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर जानकारी प्राप्त कर थाना वैदपुरा को अवगत कराया गया। जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना वैदपुरा पर मु0अ0सं0 25/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया, इसी क्रम में थाना वैदपुरा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर 01 अभियुक्त को अधियापुर रेलवे अण्डर पास से समय 07.20 बजे अवैध तमंचे व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.देवकान्त उर्फ दीपक पुत्र अमर सिंह निवासी गांव अधियापुर थाना वैदपुरा जनपद इटावा उम्र 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

1-मु0अ0सं0 25/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1.01 अवैध तमंचा 315 बोर

2.02 जिंदा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम- प्रथम टीम- उ0नि0 यशोदा रानी प्रभारी मीडिया सेल इटावा, का0 अभय शुक्ला, का0 राहुल प्रजापति, का0 अमन चौधरी, का0 शैलेन्द्र यादव, का0 नीरज पाल, का0 विशाल चौधरी।